फेसबुक और गूगल यूएस को डैटा नहीं भेज सकेंगे

यूरोपीय संघ की सर्वोच्च अदालत ईयू कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने एक अहम फैसले के द्वारा युरोपीय संघ से व्यक्तिगत डैटा प्रोसेसिंग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजने को लेकर जो कानूनी अनुबंध था उसे निरस्त कर दिया है।

15 साल पुराने इस कानून को सेफ हार्बर कहते हैं और इसी के अंतर्गत युरोपीय संघ से कंपनियां निजी डैटा को यूएस भेजती हैं। इनमें गूगल, एपल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक समेत 300 कंपनियां हैं।

दरअसल अदालत का यह फैसला ऑस्ट्रिया के एक वकील मैक्स श्रेम्स द्वारा दायर मुकदमे के संदर्भ में आया है। श्रेम्स ने फेसबुक के खिलाफ यह मुकदमा 2013 में किया था और दावा किया था कि फेसबुक अमेरिका के जन-निगरानी कार्यक्रम में भागीदार है। इस फैसले के बाद सेफ हार्बर कानून का उपयोग इन कंपनियों द्वारा डैटा को अमेरिका भेजने के संदर्भ में नहीं किया जा सकेगा।

इस फैसले से कंपनियों को मिला वह एकमुश्त समर्थन भी समाप्त हो जाएगा जिसके तहत वे युरोपीय संघ में संग्रहित डैटा को प्रोसेसिंग के लिए अमेरिका भेजती हैं। हो सकता है कि यह प्रमुख टेक्नॉलॉजी कंपनियों के कामकाज को भी प्रभावित करे।

ज़्यादा व्यापक रूप से देखें तो मामला यह है कि अमेरिका में सारे आंकड़ों का उपयोग सार्वजनिक निगरानी के लिए किया जाता है। कम से कम वहां इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है और सारा व्यक्तिगत डैटा भी निगरानी के दायरे में आता है। हालांकि युरोपीय संघ की अदालत का फैसला डैटा सुरक्षा के बारे में हैं मगर इसमें मुख्य चिंता सार्वजनिक निगरानी को लेकर है। दरअसल, इस मुकदमे के प्रवर्तक श्रेम्स ने कहा था कि "संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून दूसरे देशों से आने वाले डैटा को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा निगरानी के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता।" अब आयरलैंड की अदालत में इस दावे की जांच की जाएगी। इस संदर्भ में वारविक बिज़नेस स्कूल के मार्क स्किलटन का कहना है कि "निजता को लेकर युरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के बीच जो खाई है वह गहरी होती जा रही है।"

युरोपीय संघ की अदालत का फैसला मूलतः यह कहता है कि यूएस द्वारा की जा रही निगरानी को बुनियादी अधिकारों से अधिक वरीयता नहीं दी जा सकती जबकि अमेरिका का कानून कहता है कि निगरानी बुनियादी अधिकारों से ऊपर है। ***(स्रोत फीचर्स)***